



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3853]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2019/अग्रहायण 7, 1941

No. 3853]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2019/AGRAHAYANA 7, 1941

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2019

**का.आ. 4284(अ).**—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा क्षेत्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तरी रेंज, धर्मशाला, जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), को भारत में निम्नलिखित कार्य क्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात :

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;  
(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[सं. 2(3)/2019-सीएलईएस ]

गोपालकृष्णन एस , अपर सचिव

---

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2019

**S.O. 4284(E).**—In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby notifies Regional Forensic Science Laboratory, Northern Range, Dharamshala, District- Kangra (Himanchal Pradesh), as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:-

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[No. 2(3)/2019-CLES]

GOPALAKRISHNAN S. Addl. Secy.